पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-2090

दिनांक-16.11.2026

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना-कैसरबाग क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग अजय कुमार को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 138 / 24/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक-16.11.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0सं0	वादसं0	नामपता विपक्षी	आपराधिकइतिहास				
				क्र0सं0	म0अ0सं0	धारा	थाना	जिलाबदर की अवधि
काकोरी	1	138/24/2026	अजय कुमार पुत्र रोशनलाल निवासी-घनश्यामपुर, थाना काकोरी, लखनऊ	1	02/2023	380/411 भादवि	दुबग्गा	06 माह
				2	03/2023	379/411 भादवि	माल	
				3	30/2023	379/411 भादवि	माल	
				4	05/2023	379 भादवि	रहीमाबाद	
				5	16/2025	303(2)/317(2)बीएनएस	महिगवां	
				6	27/2025	303(2) बीएनएस	महिगवां	
				7	22/2025	303(2) बीएनएस	मलिहाबाद	
				8	37/2025	303(2) बीएनएस	मलिहाबाद	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-2089
दिनांक-16.11.2026

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना-कैसरबाग क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग अनस रिजवान सिद्दीकी को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 133 / 21/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का पुरजोर विरोध करते हुये विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक-16.11.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0 सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिकइतिहास				जिला बदर की अवधि
				क्र0 सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
कैसरबाग	1	133 / 21/2026	अनस रिजवान सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद रिजवान उर्फ स्व0 चांद निवासी 105/151 फूलबाग थाना कैसरबाग, लखनऊ उम्र करीब 23 वर्ष।	1	087/2025	191(2)/191(3)/352/351(2)/ 115(2)/110 बीएनएस	कैसरबाग	06 माह
				2	130/2025	115(2)/352/351(2) बीएनएस	कैसरबाग	
				3	166/2025	65(1)/115(2)बीएनएस व 5/6 पॉक्सो एक्ट	कैसरबाग	
				4	071/2026	191(2)/115(2)/351(2) बीएनएस	कैसरबाग	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2085
दिनांक-15.11.2026

जोन-पूर्वी /थाना-विभूतिखण्ड

- **थाना विभूतिखण्ड पुलिस द्वारा विशेषखण्ड-1 स्थित फ्लेम्स 147 कैफे में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **मौके से 06 हुक्के, 04 फ्लेवर एवं 08 हुक्का पाइप बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.2026 को थाना विभूतिखण्ड पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर विशेषखण्ड -1 मे संचालित फ्लेम्स आफ अरेबिया कैफे के सेकेण्ड फ्लोर पर फ्लेम्स 147 कैफे से अवैध हुक्का बार 01 नफर अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम द्वारा मौके की गहन तलाशी लेते हुए **06 अदद बड़े हुक्के मय हुक्का पाइप, 04 अदद फ्लेवर एवं 08 अदद हुक्का पाइप** बरामद किए गए। कैफे संचालकों द्वारा हुक्का बार संचालन के संबंध में कोई वैध लाइसेंस/अनुमति प्रस्तुत नहीं की जा सकी। गिरफ्तार अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उक्त अवैध हुक्का बार का मुख्य संचालन कैफे मालिक इस्माइल द्वारा किया जाता है तथा वही हुक्का एवं फ्लेवर उपलब्ध कराता है।

उक्त प्रकरण में बरामदगी एवं पूछताछ के आधार पर थाना विभूतिखण्ड पर **मु0अ0सं0 448/2026 धारा 4/25 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA)** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा नामित कैफे मालिक इस्माइल एवं मैनेजर अलबख्श की भूमिका की जांच करते हुए उनकी तलाश एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02- पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ में उनके द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि उपरोक्त अवैध हुक्का बार का मुख्य संचालन कैफे के मालिक इस्माइल द्वारा किया जाता है। वही हम लोगों को फ्लेवर व हुक्का उपलब्ध कराते हैं।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. राम कुमार पुत्र विजय कुमार पता ग्राम ग्रीन सिटी लोधेश्वर मन्दिर के पास थाना रामनगर, बाराबंकी उम्र करीब 21 वर्ष

04.नामित अभियुक्त का विवरण-

1.मालिक इस्माइल
2.मैनेजर अलबख्श

05-बरामदगी -

- 06 अदद बडे हुक्के मय हुक्का पाइप
- 04 अदद फ्लेवर
- 08 अदद हुक्का पाइप

06-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 448/2026 धारा 4/25 सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (COTPA) थाना पारा कमिश्नरेट लखनऊ

07- गिरफ्तारी / संरक्षण में लेने वाली टीम लखनऊ

1. उ0नि0 सिद्धान्त सिंह थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
2. का0 हरिओम यादव थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
3. का0 दीपक गंगवार थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
4. का0 मोनू राठी थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ
5. म0हे0का0 वन्दना यादव थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति सं0-2088
दिनांक-16.11.2026

लखनऊ कमिश्नरेट के अन्तर्गत थाना-सआदतगंज क्षेत्र के मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का पारित किया गया आदेश-

न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ में लोक शान्ति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु संस्थित वाद संख्याः 137(23)/2026 से सम्बन्धित विपक्षी के विरुद्ध न्यायालय में उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 की धारा-3 के तहत सुनवाई के दौरान विपक्षी के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुनने के बाद राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) किया जाना उचित बताया गया। विद्वान संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के परिशीलन से संतुष्ट होते हुए आज दिनांक-16.11.2026 को खुले न्यायालय में विपक्षी के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाये जाने के क्रम में विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए लखनऊ की सीमा से 06 माह हेतु निष्कासित (जिलाबदर) किये जाने का आदेश पारित किया गया।

थाना	क्र0सं0	वाद सं0	नाम पता विपक्षी	आपराधिकइतिहास				जिला बदर की अवधि
				क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	
सआदतगंज	1	137/(23)/2026	विपक्षी मो0 सलमान उर्फ सलमान कटोरी पुत्र साजिद हुसैन निवासी-मकान नम्बर 385/428 फाजिलनगर थाना सआदतगंज लखनऊ उम्र करीब 33 वर्ष।	1	056/2026	191(2)/115(2)/126(2)/351(2)/352 बीएनएस	कैसरबाग	06 माह
				2	38/2026	324(4)/351(2)/352 बीएनएस	कैसरबाग	
				3	166/2025	115(2)/351(2)/352/333 बीएनएस	कैसरबाग	
				4	274/2021	147/148/188/269/270 भादवि, 03 महामारी अधिनियम, 51 आपदा प्रबन्धन अधिनियम व 7 सी0एल0ए0 एक्ट	कैसरबाग	
				5	69/2021	147/323/427/504/506 भादवि	सआदतगंज	
				6	797/2018	147/323/452/506 भादवि	ठाकुरगंज	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2087.

दिनांक-16.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

➢ **थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण-

माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत गैर-जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दिनांक 16.11.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण एवं वारण्टी अभियुक्तों की तलाश व गिरफ्तारी हेतु कार्यवाही की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा NBW वाद सं0 43925/20, अपराध सं0 243/19, धारा 354/452/506/509 भादवि, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त राकेश उर्फ मझले पुत्र देवन निवासी ग्राम घुसौली, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पर दबिश दी गयी।

जहां वारण्टी अभियुक्त राकेश उर्फ मझले उपरोक्त मौजूद मिला। पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट एवं सम्बन्धित वाद से अवगत कराते हुए आज दिनांक 16.11.2026 को समय करीब 09.20 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के परिजनों को मौके पर दी गयी। दौराने गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

03-अनावरित अभियोग का विवरण -

NBW वाद सं0 43925/20, अपराध सं0 243/19, धारा 354/452/506/509 आईपीसी, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता व व्यवसाय

1. राकेश उर्फ मझले पुत्र देवन निवासी ग्राम घुसौली, थाना मलिहाबाद, जनपद लखनऊ, उम्र करीब 34 वर्ष (व्यवसाय –मजदूरी)

06-गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम थाना मलिहाबाद लखनऊ

उ0नि0 संजय कुमार गुप्ता, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

उ0नि0 सुरेन्द्र प्रताप सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

उ0नि0 अनिल कुमार गौतम, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2086

दिनांक-16.11.2026

जोन- मध्य/ थाना- कैण्ट

- **कैण्ट पुलिस टीम द्वारा OLX पर मोटरसाइकिल खरीदने के बहाने धोखाधड़ी कर मोटरसाइकिल लेकर फरार होने वाला 01 शातिर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गई 01 अदद मोटरसाइकिल व 01 अदद फर्जी नम्बर प्लेट बरामद।**

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.09.2026 को वादी मेराज अली पुत्र सहवान अली निवासी नीलमथा, विजय नगर, रेवतापुर रोड, थाना कैण्ट, लखनऊ द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी गई कि उनके द्वारा अपनी मोटरसाइकिल अवेंजर संख्या **UP44AJ4860** को OLX पर बिक्री हेतु अपलोड किया गया था। जिस पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनसे संपर्क कर मोटरसाइकिल खरीदने की इच्छा जताई गई। दिनांक 18.08.2026 को उक्त व्यक्ति मोटरसाइकिल देखने के लिए वादी के पास नीलमथा आया तथा अपनी मोटरसाइकिल संख्या **UP32CT4705** वादी के पास खड़ी कर उनकी मोटरसाइकिल को चलाकर देखने के बहाने लेकर चला गया। काफी समय बीत जाने के बाद भी वापस न आने तथा फोन कॉल का जवाब न देने पर वादी द्वारा काफी तलाश की गई, किन्तु मोटरसाइकिल का कोई पता नहीं चला।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना कैण्ट पर मु0अ0सं0 79/2026 धारा 318(4) बीएनएस पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री आशीष राजपूत द्वारा की जा रही है।

उक्त घटना के अनावरण हेतु थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास एवं सुरागरसी-पतारसी की जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक **16.11.2026 को** संजोग क्षेत्री विहार की तरफ से ठण्डी सड़क तिराहे पर चेकिंग एवं तलाश के दौरान अभियुक्त **मो0 सलमान पुत्र मो0 असलम**, निवासी 297/63 शाहगंज अशरफाबाद चौक, थाना बाजारखाला, लखनऊ, हाल पता किराये का मकान घुइया देवी मंदिर के पास भदेवां, थाना बाजारखाला, लखनऊ, उम्र करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटरसाईकिल अवेन्जर वाहन न0 UP44AJ4860 व एक अदद नम्बर प्लेट सं0- UP32HR7861 बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 318(4)/336(3)/340(2)/317(2) बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1.मो0 सलमान पुत्र मो0 असलम नि0 297/63 शाहगंज अशरफाबाद चौक थाना बाजारखाला लखनऊ हाल पता किराये का मकान घुइया देवी मन्दिर के पास भदेवां थाना बाजार खाला लखनऊ उम्र 33 वर्ष।

03-बरामदगी:-

- 01 अदद मोटरसाईकिल अवेन्जर वाहन न0 UP44AJ4860
- 01 अदद नम्बर प्लेट सं0- UP32HR7861

04-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 79/26 धारा 318(4) बीएनएस थाना कैण्ट लखनऊ

05-आपराधिक इतिहास अभियुक्त–

1. मु0अ0सं0698/24 धारा 316(2)/317(2) बीएनएस थाना पारा लखनऊ
2. मु0अ0सं0 959/17 धारा 323/363/376/504/506 भादवि व धारा 5 अनैतिक व्यापार अधिनियम व ¾ पोक्सो एक्ट थाना काकोरी लखनऊ
3. मु0अ0स0-15/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना खैराबाद सीतापुर

06-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना कैण्ट -

1.उ0नि0 श्री आशीष राजपूत
2.उ0नि0 श्री रवि यादव
3.उ0नि0 श्री किरन पाल
4.उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार द्विवेदी
5.का0 तरुण कुमार
6.का0 रोहित कुमार

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2084

दिनांक-16.11.2026

जोन-पूर्वी/थाना-गुडम्बा

- **थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकरण के मात्र 04 घंटे के भीतर मंगलसूत्र छिनैती की घटना का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त के कब्जे से छिनैती किया गया टूटा हुआ मंगलसूत्र/ लॉकेट (पीली धातु) बरामद।**

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.2026 को वादी विपिन कुमार सिंह द्वारा थाना गुडम्बा पर सूचना दी गयी कि कुकरैल पिकनिक स्पॉट से छठ पूजा कर वापस लौटते समय लकी मेडिकल स्टोर के सामने वाली गली में एक अज्ञात युवक द्वारा उनकी पत्नी मौसमी भारती के गले से लाल मोतियों की माला में लगा सोने का मंगलसूत्र झपट्टा मारकर छीन लिया गया। उक्त सूचना पर थाना गुडम्बा पर तत्काल मु0अ0सं0-436/2026 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

अभियोग पंजीकरण के तत्काल बाद पुलिस टीम द्वारा सक्रियता से पतारसी-सुरागरसी एवं मुखबिर तंत्र के माध्यम से अभियुक्त की तलाश की गयी। इसी क्रम में दिनांक 16.11.2026 को उ0नि0 श्री अवनीश कुमार सोनी मय हमराह पुलिस बल द्वारा मुखबिर की सूचना पर **कुकरैल जंगल की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर बसेरा मोड़ से थोड़ा आगे, छठ पूजा के बैनर के पास, थाना गुडम्बा, लखनऊ** से अभियुक्त संदीप तिवारी उर्फ दुर्गा तिवारी पुत्र पवन तिवारी निवासी राजीव नगर, कल्याणपुर, थाना गुडम्बा, लखनऊ को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामातलाशी से एक अदद टूटी हुई लाल मोतियों की माला में लगा पीली धातु का मंगलसूत्र/लॉकेट बरामद हुआ, जिसे अभियुक्त द्वारा उक्त घटना में छीना जाना स्वीकार किया गया।

वादी एवं पीड़िता द्वारा बरामद मंगलसूत्र तथा अभियुक्त की पहचान भी की गयी। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

पूछताछ में अभियुक्त संदीप तिवारी उर्फ दुर्गा तिवारी द्वारा बताया गया कि उसे नशे की लत है, जिसके कारण उसने दिनांक 15.11.2026 को लकी मेडिकल स्टोर के सामने वाली गली में छठ पूजा करके वापस जा रही एक महिला के गले से मंगलसूत्र झपट्टा मारकर छीन लिया था। अभियुक्त द्वारा अपनी सफाई अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की बात कही गयी।

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1.मु0अ0सं0-436/2026 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस, थाना गुडम्बा, कमिश्नरेट लखनऊ।

04-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. संदीप तिवारी उर्फ दुर्गा तिवारी पुत्र पवन तिवारी, निवासी हालपता मो0 यूसुफ उर्फ पायलेट गाजी के मकान पर किराये पर, निकट पानी की टंकी, राजीव नगर कल्याणपुर, थाना गुडम्बा, लखनऊ व मूल निवासी ग्राम अबूई, थाना धुरौदा, जनपद सिवान, बिहार, उम्र करीब 21 वर्ष।

05-अभियुक्त संदीप तिवारी उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 496/19 धारा 380/511 IPC थाना इन्दिरानगर लखनऊ
2. मु0अ0सं0 531/19 धारा 380/411 IPC थाना गुडम्बा लखनऊ
3. मु0अ0सं0 737/19 धारा 379/427/511 IPC थाना गुडम्बा लखनऊ
4. मु0अ0सं0 738/19 धारा 401 IPC थाना गुडम्बा लखनऊ
5. मु0अ0सं0 499/23 धारा 379/411 IPC थाना गुडम्बा लखनऊ

अभियुक्त के अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

05-बरामदगी-

- एक अदद टूटी हुई लाल मोतियों की माला में लगा पीली धातु का मंगलसूत्र/लॉकेट।

06-गिरफ्तारी एंव बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अंजनी कुमार मिश्र, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. उ0नि0 श्री अवनीश कुमार सोनी, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
3. उ0नि0 श्री अजय शंकर पाण्डेय, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. हे0का0 अवधेश कुमार, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
5. हे0का0 राजन त्रिपाठी, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
6. का0 गोविन्द पाल, थाना गुडम्बा, लखनऊ।